

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, करौली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प कोटा (झापर)

507
1576/18

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कोटा (झापर) व भू-अभिलेख निरीक्षक चंजपुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार मासलपुर / नायब तहसीलदार X की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कोटा (झापर) तहसील मासलपुर व जिला करौली की जमाबन्दी सम्वत् 2074-77 में खाता संख्या 5 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
1	कोटा (झापर)	5	अमर लाल पप्पू किनोद मीठालाल पि० जयराम प्रेम बेवा जयराम रामप्रसाद श्याम सुन्दा रघुबीराम किरोडी पि० सन्तोकी सोनी बेवा सन्तोकी गीता चन्द्रो अम्बीरामुन्की वाजो (जावा) सप्रेती (जावा) जैसवार्ति (जावा) पुत्रीपार सन्तोकी शंरेशक मो रुड हि० १० हेरती पुत्र भास्यचन्द जाति चमार सा ५६ हि० १०	अमर लाल पप्पू किनोद मीठालाल पि० जयराम प्रेम बेवा जयराम रामप्रसाद श्याम सुन्दा रघुबीराम किरोडी पि० सन्तोकी सोनी बेवा सन्तोकी गीता चन्द्रो अम्बीरामुन्की वाजो (जावा) सप्रेती (जावा) जैसवार्ति (जावा) पुत्रीपार सन्तोकी शंरेशक मो रुड हि० १० हेरती पुत्र भास्यचन्द जाति जाटव सा ५६ हि० १०

(15/6/18)
(उप खण्ड अधिकारी)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत, कैम्प कोटा (झापर)
उप खण्ड अधिकारी, करौली

क्रमांक : -
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. तहसीलदार मासलपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।